EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

द हिंदू यूपीएससी CSE के लिए महत्वपूर्ण समाचार लेख और संपादकीय

Saturday, 22 June , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 2 शासन**	संगठित धोखाधड़ी को दंडित करने वाला अधिनियम लागू हुआ
Page 11 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारत के इस्पात निर्यात में कमी आ सकती है
Page 11 **Syllabus : GS 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था**	आईबीबीआई व्यक्तिगत गारंटरों पर लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करेगा
Page 11 **Syllabus : GS3 – भारतीय अर्थव्यवस्था**	MPC में वृद्धि बलिदान का दृष्टिकोण बढ़ा
प्रारंभिक तथ्य **प्रारंभिक तथ्य**	डेलोस
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	म्यांमार पर एक प्रगतिशील भारतीय नीति की रूपरेखा
मानचित्र	**विषय:** भारत के प्रमुख भौतिक विभाग: हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ

केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी से निपटने के लिए 21 जून से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया है।

Act punishing organised cheating comes into effect

The law has provision for up to five years' imprisonment and a fine of up to ₹1 crore for exam malpractices; the UGC-NET exam cancelled on June 19 will not be covered by the new legislation

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 that has provision for up to five years' imprisonment and a fine of up to ₹1 crore for malpractices and organised cheating in government recruitment exams was notified by the Union government to come into effect from Friday.

The UGC-NET 2024 examination that was cancelled on June 19 on grounds of being compromised and is being investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI) will however not be covered by the newly enacted law.

On February 6, Parliament passed the Bill.

A notification issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) on Friday said, "In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (1 of 2024), the Central government hereby appoints the 21st day of June, 2024 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force."

Worrying state: National Students Union of India (NSUI) supporters stage a protest against the irregularities in NEET-UG, in Nagpur on Friday. ANI

The Act mentions punishments for "leakage of question paper or answer key", "directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorisedly in the public examination" and "tampering with the computer network or a computer resource or a computer system" as offences done by a person, group of persons or institutions.

List of offences

Besides these, "creation of fake website to cheat or for monetary gain", "conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain" and "manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations" are also among the offences punishable under the law.

"Any person or persons resorting to unfair means and offences under this Act shall be punished with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and with fine up to ₹10 lakh," said the Act.

A service provider, engaged by the public examination authority for conduct of examinations, shall also be liable to be punished with imposition of a fine up to ₹1 crore "and proportionate cost of examination shall also be recovered" from it, according to the Act.

Such service providers shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of four years.

The Act defines service provider as any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, "which is engaged by the public examination authority for conduct of public examination".

o सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया गया था।

- यह अधिनियम संसद द्वारा 6 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था और 21 जून, 2024 को लागू हुआ।

जुर्माना और कारावास:

- कारावास: अपराधियों को कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ता है, जिसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- जुर्माना: कदाचार में शामिल व्यक्तियों के लिए ₹10 लाख तक का जुर्माना।
- सेवा प्रदाताओं पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें समझौता की गई परीक्षा की आनुपातिक लागत वहन करनी होगी।
- सेवा प्रदाताओं को चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा की ज़िम्मेदारियों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

अपराधों की सूची:

- प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजियों का लीक होना।
- उम्मीदवारों को अनधिकृत सहायता।
- कंप्यूटर नेटवर्क, संसाधनों या प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करना।
- धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए नकली वेबसाइट बनाना।
- मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षाएँ आयोजित करना, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना।
- नकल को बढ़ावा देने के लिए बैठने की व्यवस्था, तिथियों और शिफ्टों के आवंटन में हेराफेरी करना।

- अधिकार: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिनियम को अधिसूचित किया गया था।
- उद्देश्य: सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखना और धोखाधड़ी गतिविधियों और संगठित धोखाधड़ी को रोकना।

Page 11 : GS 3 : Indian Economy

जून में, भारत के इस्पात निर्यात को यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में सुस्त मांग का सामना करना पड़ रहा है।

- जून में भारत के इस्पात निर्यात में यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में सुस्त मांग का सामना करना पड़ा।
- दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में हॉट रोल्ड कॉइल (HRC) की पेशकश प्रतिस्पर्धी चीनी मूल्य निर्धारण प्रतिरोध के कारण बाधित है, पश्चिम एशिया के लिए लगभग 600 डॉलर प्रति टन की पेशकश की गई है, जो अपेक्षा से अधिक है।
- आर्थिक चुनौतियों के कारण यूरोपीय मांग में कमी बनी हुई है, हालांकि आयात को प्रतिबंधित करने वाले विस्तारित सुरक्षा उपायों के कारण हॉट रोल्ड कॉइल (HRC) की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है और यह 560-610 डॉलर प्रति टन हो गई है।
- यूरोप में कोल्ड रोल्ड कॉइल की पेशकश 6-7% घटकर 700 डॉलर प्रति टन रह गई, जिससे भारत की निर्यात संभावनाओं पर असर पड़ा है।
- भारतीय इस्पात मिलों ने घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने और मानसून के बाद बाजार में सुस्ती की उम्मीदों के बीच यूरोप को HRC निर्यात की कीमतों को स्थिर रखा है।
- भारत में मानसून की शुरुआत से घरेलू इस्पात की मांग में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही आयात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और बाजार में निराशावादी धारणा बनेगी।

Global headwinds may dampen India's exports of steel

Abhishek Law
NEW DELHI

The country's steel exports continue to see sluggish demand in June across key markets that include the Europe Union, West Asia and the South East Asian region.

While higher-than-expected price quotations are said to be a key reason for subdued demand, sources said hot rolled coil (HRC) offers to South East Asia and West Asia continue to face Chinese competitive price resistance, thereby impacting demand.

Offers to West Asia are apparently in the $600 per tonne range as against expectations (primarily Chinese offers) being in the $550-580 per tonne range.

European demand

In case of Europe, sluggish economic conditions - after a brief period of improvement in early-June - persist.

In case of Europe, there was slight increase in price quotations early June, rising to $560-610 per tonne (lower and higher end) after settling in the $560-600 range, by mid-June.

In contrast, European HRC prices experienced a marginal uptick despite lacklustre demand.

This increase coincides with the European Union's extended safeguard measures, aimed at restricting imports from specific countries and potentially tightening supply within Europe.

India will be among the countries that could see a hit in its exports to Europe.

On the other hand, cold rolled coil offers to Europe saw a 6-7% decline to $700 per tonne, as against $750 in the previous week.

According to consultancy firm, BigMint, the Indian steel mills have maintained their HRC export offers to Europe "unchanged", focusing on the domestic market as a priority.

"Some sluggishness in domestic market is expected post June, as monsoon set in," a steel mill official told *businessline*. "Budget expectations will also weigh in on trade level prices while mills are also expecting counter-measures to safeguard duties of the EU," the official added.

Domestic market

India's imports of bulk HRC and plates have begun to grow, outpacing exports.

The onset of the monsoon season is anticipated to reduce demand across various regions of India too.

"Narrowing profit margins and reduced sales within the trading sector, is fostering a pessimistic market sentiment. Moreover, the increasing influx of imports is poised to exert additional downward pressure on prices," BigMint said in its report.

(*The writer is with The Hindu businessline*)

Page 11 : GS 3 – Indian Economy

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आईबीसी के तहत समाधान योजनाएं व्यक्तिगत गारंटरों को दायित्वों से स्वतः मुक्त नहीं करती हैं।

- भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि IBC के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने से गारंटर अपने ऋण दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाते।
- IBBI का यह कदम ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रुख के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि समाधान योजना की मंजूरी व्यक्तिगत गारंटर को दायित्व से मुक्त नहीं करती।
- सुष्मिता गांधी और मीशा जैसे विशेषज्ञ समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन लेनदार समझौतों के साथ संभावित टकरावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।
- भारत में ARCs के एसोसिएशन के हरि हर मिश्रा इस प्रस्ताव को लेनदारों के लिए लाभकारी मानते हैं, जिससे वसूली के प्रयास बढ़ेंगे।
- सुमित खन्ना ने लेनदारों की स्थिति को मजबूत करने और वसूली दरों में सुधार करने में संशोधन की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो वर्तमान वसूली चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण है।

IBBI to strengthen creditors' rights on personal guarantors

K.R. Srivats
NEW DELHI

The Insolvency and Bankruptcy Board of India proposes to make it unequivocally clear that the submission or approval of a resolution plan for a corporate debtor under the IBC does not automatically release guarantors from their liability to repay the debt.

The IBBI now seeks to amend its CIRP regulations to ensure that submitting a resolution plan does not prevent creditors from enforcing their rights against the personal guarantor. Insolvency law experts said the IBBI's plan is likely to provide legislative clarity, strengthen creditors' position, and boost recoveries from personal guarantors.

The IBBI has released a discussion paper addressing, among other things, the "release of guarantees in a resolution plan." The last date for public comments through electronic mode is July 10, IBBI has said.

SC's approach

To clarify that approving a resolution plan does not automatically discharge a personal guarantor's liabilities from an independent contract, the IBBI has followed the Supreme Court's approach in Lalit Kumar Jain vs Union of India.

In the Lalit Kumar Jain vs Union of India judgment, the Supreme Court upheld the November 15, 2019, MCA notification enforcing the IBC's provisions on personal guarantors' insolvency.

Bringing clarity: The regulator has issued a discussion paper and sought public comments by July 10. GETTY IMAGES/ISTOCK

The court also ruled that approving a resolution plan does not absolve personal guarantors from their obligations or extinguish their liability.

Experts' take

Sushmita Gandhi, Partner, INDUSLAW, said the case of Lalit Kumar is one of the many instances where judicial interpretation bridged the lacuna in the IBC, which is still a nascent law.

"The proposal indicates that the IBBI is cognisant of such gaps and is attempting to bridge the same to avoid ambiguity relating to the position of release of guarantees," she added.

'Raises concerns'

Misha, Partner, Shardul Amarchand Mangaldas & Co., said the language of the proposed amendment raises concerns.

"On a plain reading, it suggests that a resolution plan cannot prevent creditors from enforcing their rights against the guarantors of the corporate debtor. This should not be the case where the creditors have agreed to discharge the guarantor along with the corporate debtor," she observed.

Hari Hara Mishra, CEO of the Association of ARCs in India, said the IBBI proposal, if implemented, will be a shot in the arm for creditors and a boost to improve recovery from the enforcement of guarantees.

'Sanctity of contracts'

"This will reinforce the sanctity of contractual obligations, the backbone of a robust framework of credit culture," he said.

Sumit Khanna, Partner, Deloitte India, said,"By prohibiting resolution applicants from extinguishing guarantees, this change strengthens creditors' positions, promising a more efficient recovery process. With creditors recovering close to 2 per cent of claims from PGs, this amendment is crucial for bolstering recovery."

Vishwas Panjiar, Partner, Nangia Andersen in India, said personal guarantors remain liable for the guarantees they have provided.

(The writer is with The Hindu businessline)

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI):

- स्थापना: IBBI की स्थापना 1 अक्टूबर, 2016 को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत की गई थी।
- विनियामक प्राधिकरण: यह भारत में दिवालियेपन समाधान और दिवालियापन प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाली विनियामक संस्था के रूप में कार्य करता है।

मुख्य कार्य:

- दिवालियापन पेशेवरों (आईपी), दिवालियेपन पेशेवर एजेंसियों (आईपीए) और सूचना उपयोगिताओं (आईयू) को विनियमित करता है।
- निष्पक्ष और कुशल समाधान प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए संहिता के नियमों और विनियमों को विकसित और लागू करता है।

- अपने ढांचे और दिशानिर्देशों के माध्यम से कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियेपन समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

समाधान प्रक्रिया में भूमिका:

- कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) और परिसमापन कार्यवाही की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।
- दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेता है।
- हितधारकों को परिपत्रों और अधिसूचनाओं के माध्यम से स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रभाव:

- संकटग्रस्त परिसंपत्ति समाधान के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करके कॉर्पोरेट और वित्तीय परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- इसका उद्देश्य भारत में दिवालियेपन के मामलों के लेनदारों के विश्वास को बढ़ाना और तेजी से समाधान को बढ़ावा देना है।
- इस ढांचे का उद्देश्य दिवालियेपन कार्यवाही में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जो आर्थिक स्थिरता और लेनदार अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

आरबीआई की एमपीसी के बाहरी सदस्यों आशिमा गोयल और जयंत आर. वर्मा ने 0.25% की दर कटौती की मांग की, और चेतावनी दी कि सख्त मौद्रिक नीति बनाए रखने से विकास में बाधा आ सकती है।

'Growth sacrifice' view grows in MPC

External member Goyal cautions MPC against repeating the mistake of 2015, when policymakers avoided cutting interest rates on fears that crude prices could rise again and thus hurt growth; joins Varma in voting for a 25 bps rate reduction

Lalatendu Mishra
MUMBAI

Ashima Goyal joined Jayanth R. Varma as the two external members of the Monetary Policy Committee (MPC) voted as a minority for a 0.25% rate cut at the latest MPC meeting, warning against the rising risks of 'status quosim' and 'growth sacrifice' as a result of the Reserve Bank of India (RBI) persisting with its tight monetary policy approach, the minutes of the June 5-7 meeting released on Friday show.

"Headline inflation has been around 5% since January... while core inflation has been below 4% since December 2023," Dr. Goyal noted. "The headline inflation projection of 4.5% for 2024-25 gives an average real repo rate of 2% implying that the real repo rate will be above neutral for too long if the repo rate stays unchanged," she pointed out.

Stating that slowing inflation had raised real repo above unity, she said this would reduce real growth rate with a lag. "Expected growth is around 7% in 2024-25 below the 8% achieved in 2023-24. Status quoism is praised as being cautious. But if doing nothing distorts real variables it aggravates shocks instead of smoothing them and raises risk," she asserted.

Dr. Goyal stressed that it was necessary to avoid the mistake of 2015 when global crude oil prices fell substantially but the fear that they would rise again prevented an adequate cut in the policy rate. "Real interest rates rose substantially and hurt growth."

Mr. Varma said: "I expressed concern about the growth sacrifice in 2024-25 induced by restrictive monetary policy. It now appears that the maintenance of restrictive policy for unwarrantedly long will lead to a growth sacrifice in 2025-26 as well."

RBI Deputy Governor Michael Debabrata Patra, however, said policy needed to stay focused on aligning inflation to the target or risk undermining medium-term growth.

Debate widens

MPC member Goyal joins Varma in voting for a rate cut, cites risks to growth from keeping policy restrictive for unduly long

- MPC's headline inflation projection of 4.5% gives an average real repo rate of 2%, says Goyal
- This implies the real repo rate will be above neutral for too long if the repo rate stays unchanged, she argues
- Policy must stay focused on aligning inflation to target or risk undermining medium-term growth: RBI's Patra

- एमपीसी की नवीनतम बैठक में बाहरी एमपीसी सदस्यों आशिमा गोयल और जयंत आर. वर्मा ने 0.25% की दर कटौती के लिए मतदान किया।
- उन्होंने सख्त मौद्रिक नीति बनाए रखने के जोखिमों के प्रति चेतावनी दी, जिससे 'यथास्थिति' और 'विकास बलिदान' हो सकता है।
- गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जनवरी से हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 5% रही है और दिसंबर 2023 से कोर मुद्रास्फीति 4% से नीचे है।
- उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए 4.5% की अनुमानित हेडलाइन मुद्रास्फीति का अर्थ है 2% की वास्तविक रेपो दर, जो अपरिवर्तित रहने पर बहुत लंबे समय तक तटस्थ रहेगी।
- गोयल ने चेतावनी दी कि उच्च वास्तविक रेपो दरें वास्तविक विकास दरों को कम कर देंगी, 2024-25 के लिए अपेक्षित विकास 7% रहेगा, जो 2023-24 में 8% से कम है।
- उन्होंने पिछली गलतियों से बचने पर जोर दिया, जैसे कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद 2015 की अपर्याप्त दर कटौती।
- जयंत वर्मा ने प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के कारण 2024-25 और संभावित रूप से 2025-26 में विकास में कमी आने की चिंता व्यक्त की।
- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने मध्यम अवधि के विकास को कमज़ोर होने से बचाने के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का तर्क दिया।

Location In News : Delos

ग्रीस के मायकोनोस के नज़दीक स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल डेलोस ने प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में एक अभयारण्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण डेलोस को अगले 50 वर्षों में विनाश का सामना करना पड़ सकता है।

डेलोस के बारे में

- डेलोस एजियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो ग्रीस में साइक्लेड्स द्वीपसमूह का हिस्सा है।
- इसे प्रकाश, कला और उपचार के देवता अपोलो और उनकी बहन आर्टेमिस, शिकार की देवी का जन्मस्थान माना जाता है।
- इसके प्राचीन खंडहर तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं।
- इन खंडहरों में मंदिर, घर, अभयारण्य, थिएटर और अन्य सार्वजनिक इमारतें शामिल हैं।
- यह एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो पूर्वी भूमध्यसागरीय सभ्यताओं को पश्चिम की सभ्यताओं से जोड़ता था।
- डेलोस को 1990 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- खंडहर और स्मारक: डेलोस के कुछ सबसे उल्लेखनीय खंडहरों और स्मारकों में शेरों की छत, अपोलो का मंदिर, डॉल्फ़िन का घर, थिएटर जिला और पवित्र झील शामिल हैं।

भारत में महत्वपूर्ण स्थल:

- भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं।

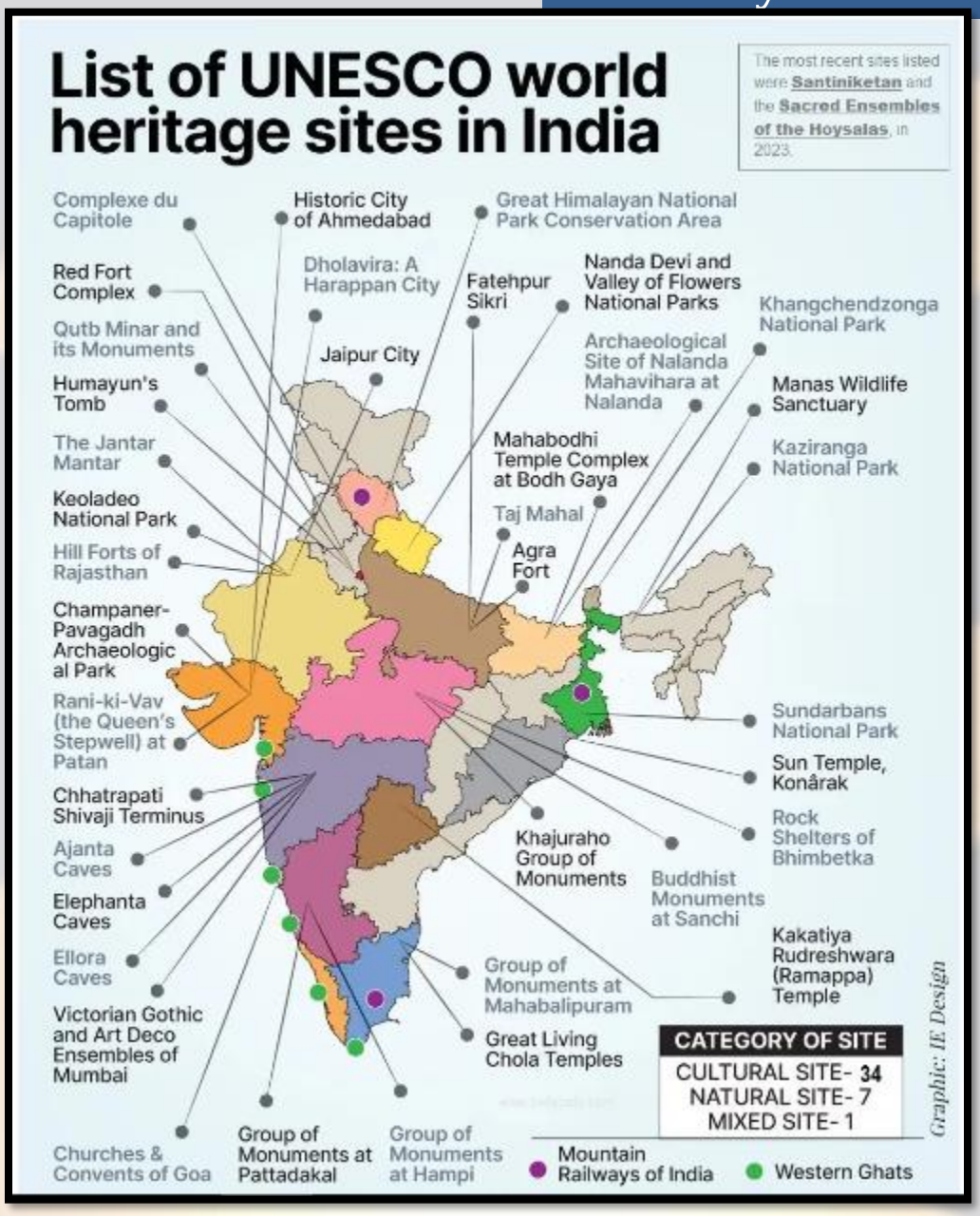

- इनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है।
- भारत में दुनिया भर में छठी सबसे अधिक साइटें हैं।
- सूचीबद्ध होने वाली पहली साइटें अजंता गुफाएँ, एलोरा गुफाएँ, आगरा किला और ताजमहल थीं, जिनमें से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया था।
- सूचीबद्ध सबसे हाल की साइटें शांतिनिकेतन और होयसल के पवित्र समूह हैं, जिन्हें 2023 में सूचीबद्ध किया जाएगा।

Page : 06 संपादकीय विश्लेषण

A progressive Indian policy on Myanmar outlined

Angshuman Choudhury

New Delhi-based researcher and writer from Assam, and formerly an Associate Fellow at the Centre for Policy Research

Three years on, the military in Myanmar, which overthrew the elected civilian government in February 2021, continues to kill, maim and displace its own people. India has steadfastly maintained formal relations with this regime, which has so far murdered more than 5,000 people and displaced some 2.5 million people. In its second tenure, the Narendra Modi government did very little to engage with the pro-democracy resistance, which now has both political and military wings. Indian foreign policy scholars and practitioners have doggedly defended this policy by arguing that India needs to work with the junta if it has to protect its "interests" in Myanmar and not get swayed by an idealistic preoccupation with "values".

How India can step out of China's shadow

But, in foreign policy, there is no clear line between "values" and "interests" simply because neither has a standard definition. It all depends on how a country defines these terms. This is also the case with India's Myanmar policy. New Delhi has long defined its "interests" in the Southeast Asian country in narrow strategic terms. But now, it needs to leverage a unique set of "values" to better defend its interests. It is possible for India to put in place a more progressive, values-driven Myanmar policy that works in favour, and not against, its national interests.

This new policy should have two key pivots, namely, democracy and human security. The new National Democratic Alliance (NDA) government, therefore, needs to take four interlocking steps immediately.

First, India needs to use its credentials as the largest federal democracy in the region to sharpen its influence in Myanmar. For long, Myanmar's pro-democracy political elites and civil society have looked up to India as a model of a federal democratic union with a well-oiled power-sharing arrangement between the centre and various subnational units. This is even more relevant today as the democratic resistance in Myanmar, which is led by the National Unity Government (NUG), dozens of ethnic revolutionary organisations, civil society organisations, and trade unions, strives to replace the military-drafted 2008 constitution with a federal constitution. By helping this vibrant opposition achieve its aim through capacity-building and knowledge exchange programmes, India can distinguish itself from China, its primary regional competitor in Myanmar. Both Beijing and New Delhi can sell military hardware to Myanmar, but only India can sell the spirit of federal cooperation. Here is a chance for the new Indian government to outmanoeuvre the Chinese in their own 'backyard'.

New Delhi's stance of defining its 'interests' in the Southeast Asian country in narrow strategic terms needs to change

Weapons sales and humanitarian outreach

Second, India needs to immediately halt all weapon sales to the Myanmar military. According to the advocacy group, Justice For Myanmar (JFM), Indian state-owned military hardware manufacturers have sold a range of non-lethal and semi-lethal equipment to the junta since the 2021 coup. In its most recent report, published on March 27, the group claimed that on January 2, the Indian Air Force transferred a package which had 52 items, including navigation and communication parts, to its Myanmar counterpart. Another recent investigation by Frontier Myanmar claims that India sold more than $1.5 million worth of navy-grade diesel to junta-linked entities since the coup. New Delhi needs to immediately put a stop to these, as the Myanmar military continues to use all its three services – the army, air force, and navy – to attack non-combatant civilians using imprecise lethal tactics.

Third, India needs to immediately open cross-border humanitarian corridors to help civilians affected by the conflict along three border provinces – Sagaing Region, Chin State and northern Rakhine State. According to United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) data, Sagaing Region has seen the largest quantum of internal displacement in all of Myanmar since the coup (as of March 25, 2024). Rakhine comes next, while Chin State sits tenth in the list. Continuing air strikes by the junta and clashes between armed groups in these areas have only pushed more civilians across the borders. New Delhi needs to first revoke its plans to fence the India-Myanmar border and reinstate the Free Movement Regime, or the FMR, which the Union Home Ministry suspended in February 2024. Then, it should engage existing humanitarian aid networks along the India-Myanmar border to send emergency relief assistance including medicines, food and tarpaulin to the other side. Mizoram, where a multi-layered asylum and aid ecosystem is already operational, is a good starting point. India should also collaborate with local and international non-governmental organisations with experience in the field. Best practices from Thailand, which recently started cross-border aid deliveries into Myanmar, should also be adopted. New Delhi should use its clout to ensure that the aid is not distributed by the junta, which not only has a disastrous track record in this field, but is also not even in control of large areas along the India-Myanmar border. It is also possible to run cross-border aid corridors without allowing contraband to pass through, with stringent checks and pre-delivery vetting.

Detention of asylum seekers

Fourth, the Narendra Modi government should immediately halt the detention and deportation of asylum seekers from Myanmar. This is especially so in the case of Manipur, where the BJP-led government has so far deported 115 asylum seekers to Myanmar – the latest round was on June 11. These are people who entered India not because they wanted to or with mal-intent, but because they were forced to. Regardless of the fact that India has not ratified the 1951 Refugee Convention, it is incumbent upon the government to treat them as refugees in need of humanitarian assistance and protection rather than as "illegal immigrants". Both the Indian Constitution and international law allow the Indian state to do so. In fact, the customary international legal principle of non-refoulement discourages India from deporting refugees back to a home country where they face a threat of persecution or death. The Centre should also urge the BJP-led Assam government to release the 27 Chin refugees detained in the State and house them in a humane refugee shelter.

India, the "*Vishwabandhu*", routinely claims to stand with the people of Myanmar. It should now walk the talk.

GS Paper 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध – द्विपक्षीय संबंध

Practice Question: म्यांमार के साथ भारत के सहयोग के रणनीतिक महत्व को समझाइए, प्रमुख क्षेत्रों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वर्तमान क्षेत्रीय गतिशीलता के आलोक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों का प्रस्ताव कीजिए। **(150 w/10m)**

प्रसंग: यह लेख 2021 के तख्तापलट के बाद से जारी सैन्य हिंसा के बीच म्यांमार के प्रति भारत की विदेश नीति की आलोचना करता है। यह म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का समर्थन करने, जुंटा को हथियारों की बिक्री रोकने, मानवीय गलियारे स्थापित करने और भारत में म्यांमार के शरणार्थियों की सुरक्षा की दिशा में बदलाव की वकालत करता है।

- दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में अपने 'हितों' को संकीर्ण रणनीतिक शब्दों में परिभाषित करने के नई दिल्ली के रुख को बदलने की जरूरत है।

भारत चीन की छाया से कैसे बाहर निकल सकता है

- तीन साल बाद, म्यांमार में सेना, जिसने फरवरी 2021 में निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंका, अपने ही लोगों को मारना, घायल करना और विस्थापित करना जारी रखा है।
- भारतीय विदेश नीति के विद्वानों और चिकित्सकों ने इस नीति का दृढ़ता से बचाव करते हुए तर्क दिया है कि अगर भारत को म्यांमार में अपने "हितों" की रक्षा करनी है और "मूल्यों" के साथ आदर्शवादी व्यस्तता से प्रभावित नहीं होना है, तो उसे सेना के साथ काम करने की जरूरत है।
- लेकिन, विदेश नीति में, "मूल्यों" और "हितों" के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, क्योंकि दोनों की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
- यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश इन शब्दों को कैसे परिभाषित करता है। भारत की म्यांमार नीति के मामले में भी यही स्थिति है।
- नई दिल्ली ने लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में अपने "हितों" को संकीर्ण रणनीतिक शब्दों में परिभाषित किया है।
- लेकिन अब, उसे अपने हितों की बेहतर रक्षा के लिए "मूल्यों" के एक अनूठे सेट का लाभ उठाने की जरूरत है।
- भारत के लिए म्यांमार में एक अधिक प्रगतिशील, मूल्य-संचालित नीति लागू करना संभव है जो उसके राष्ट्रीय हितों के पक्ष में काम करे, न कि उसके खिलाफ।
- इस नई नीति में दो मुख्य धुरी होनी चाहिए, अर्थात् लोकतंत्र और मानव सुरक्षा।

चरण

- सबसे पहले, भारत को म्यांमार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सबसे बड़े संघीय लोकतंत्र के रूप में अपनी साख का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- लंबे समय से, म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक अभिजात वर्ग और नागरिक समाज ने भारत को एक संघीय लोकतांत्रिक संघ के मॉडल के रूप में देखा है, जिसमें केंद्र और विभिन्न उप-राष्ट्रीय इकाइयों के बीच एक सुव्यवस्थित सत्ता-साझाकरण व्यवस्था है।
- यह आज और भी अधिक प्रासंगिक है क्योंकि म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रतिरोध, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी), दर्जनों जातीय क्रांतिकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन और ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, सैन्य-निर्मित 2008 के संविधान को संघीय संविधान से बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

- क्षमता-निर्माण और ज्ञान विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से इस जीवंत विपक्ष को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करके, भारत म्यांमार में अपने प्राथमिक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी चीन से खुद को अलग कर सकता है।
- बीजिंग और नई दिल्ली दोनों म्यांमार को सैन्य हार्डवेयर बेच सकते हैं, लेकिन केवल भारत ही संघीय सहयोग की भावना बेच सकता है।

हथियारों की बिक्री और मानवीय सहायता

- दूसरा, भारत को म्यांमार सेना को सभी हथियारों की बिक्री तुरंत रोकनी चाहिए।
- नई दिल्ली को सबसे पहले भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की अपनी योजना को रद्द करना चाहिए और फ्री मूवमेंट व्यवस्था या FMR को बहाल करना चाहिए, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी 2024 में निलंबित कर दिया था।
- फिर, उसे भारत-म्यांमार सीमा पर मौजूदा मानवीय सहायता नेटवर्क को शामिल करना चाहिए ताकि दूसरी तरफ दवाइयाँ, भोजन और तिरपाल सहित आपातकालीन राहत सहायता भेजी जा सके।
- मिजोरम, जहाँ एक बहुस्तरीय शरण और सहायता पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही चालू है, एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।
- भारत को इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी सहयोग करना चाहिए।
- थाईलैंड की सर्वोत्तम प्रथाओं, जिसने हाल ही में म्यांमार में सीमा पार सहायता वितरण शुरू किया है, को भी अपनाया जाना चाहिए।
- नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए कि सहायता सेना द्वारा वितरित न की जाए, जिसका न केवल इस क्षेत्र में एक विनाशकारी ट्रैक रिकॉर्ड है, बल्कि भारत-म्यांमार सीमा के साथ बड़े क्षेत्रों पर भी उसका नियंत्रण नहीं है।
- कड़ी जाँच और पूर्व-वितरण जाँच के साथ, बिना प्रतिबंधित वस्तुओं को पारित किए बिना सीमा पार सहायता गलियारे चलाना भी संभव है।

आगे का रास्ता

- इस तथ्य के बावजूद कि भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है, सरकार का यह दायित्व है कि वह उन्हें "अवैध अप्रवासी" के बजाय मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता वाले शरणार्थियों के रूप में देखे।
- भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों ही भारतीय राज्य को ऐसा करने की अनुमति देते हैं।
- वास्तव में, गैर-वापसी का पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत भारत को शरणार्थियों को उनके गृह देश में वापस भेजने से हतोत्साहित करता है, जहाँ उन्हें उत्पीड़न या मृत्यु का खतरा होता है।
- भारत, "विश्वबंधु", नियमित रूप से म्यांमार के लोगों के साथ खड़े होने का दावा करता है। अब उसे अपनी बात पर अमल करना चाहिए।

भारत-म्यांमार संबंध:

- भारत के लिए म्यांमार का महत्व:
  - रणनीतिक स्थान: भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे तक पहुँच प्रदान करता है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है।
  - ऊर्जा सुरक्षा: प्राकृतिक गैस का स्रोत और जलविद्युत ऊर्जा सहयोग की संभावना।
  - सुरक्षा सहयोग: सीमा पर विद्रोही समूहों के खिलाफ संयुक्त प्रयास।
  - ऊर्जा क्षेत्र सहयोग: इसमें म्यांमार के अपतटीय गैस भंडार की खोज और जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग शामिल है।

- **चुनौतियाँ:**
  - राजनीतिक अस्थिरता: म्यांमार की आंतरिक राजनीतिक स्थिति द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है।

- चीनी प्रभाव: म्यांमार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी प्रभाव।
- रोहिंग्या संकट: क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली मानवीय चिंता।
- सीमा मुद्दे: सीमा पार व्यापार और सुरक्षा चुनौतियों का प्रबंधन।

आगे की राह:

- बढ़ी हुई कूटनीतिक भागीदारी: द्विपक्षीय वार्ता और उच्च-स्तरीय यात्राओं को मजबूत करना।
- आर्थिक सहयोग: बुनियादी ढांचे के विकास और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी और सीमा सुरक्षा पर निरंतर सहयोग।
- मानवीय सहायता: म्यांमार के लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए समर्थन और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता।

भारत के प्रमुख भौतिक प्रभाग

1. हिमालय पर्वत
2. उत्तरी मैदान
3. प्रायद्वीपीय पठार
4. भारतीय रेगिस्तान
5. तटीय मैदान

6. द्वीप

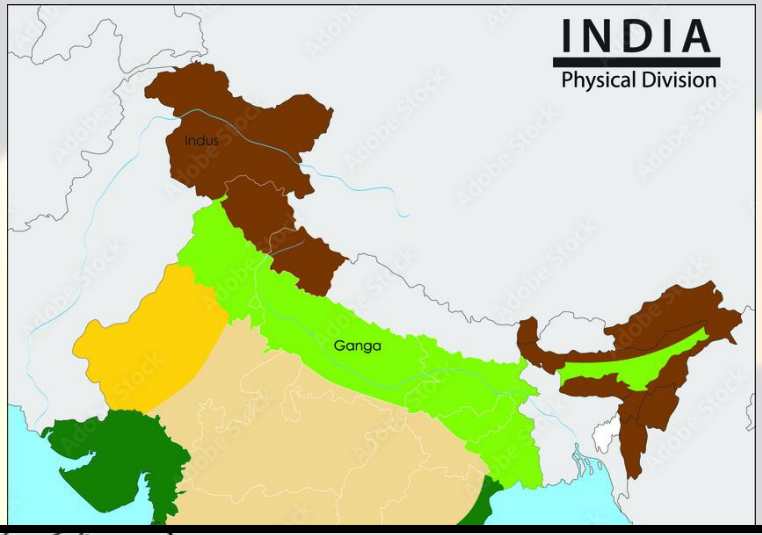

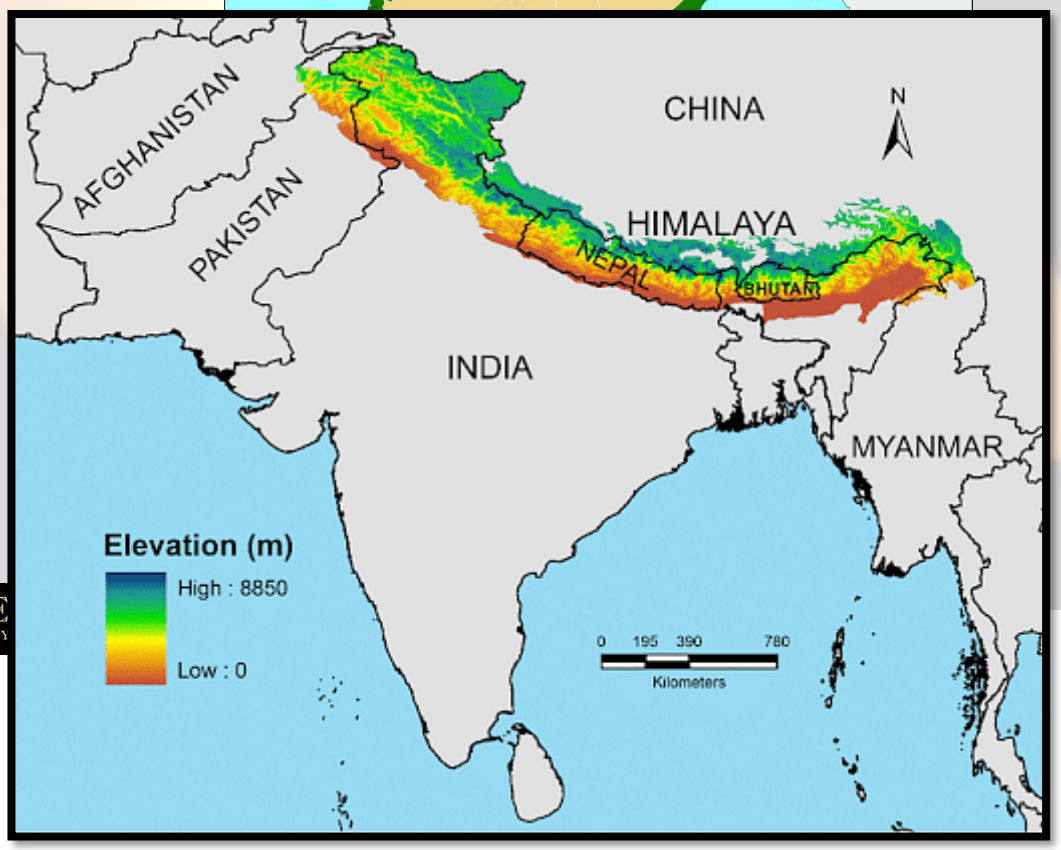

हिमालय पर्वत

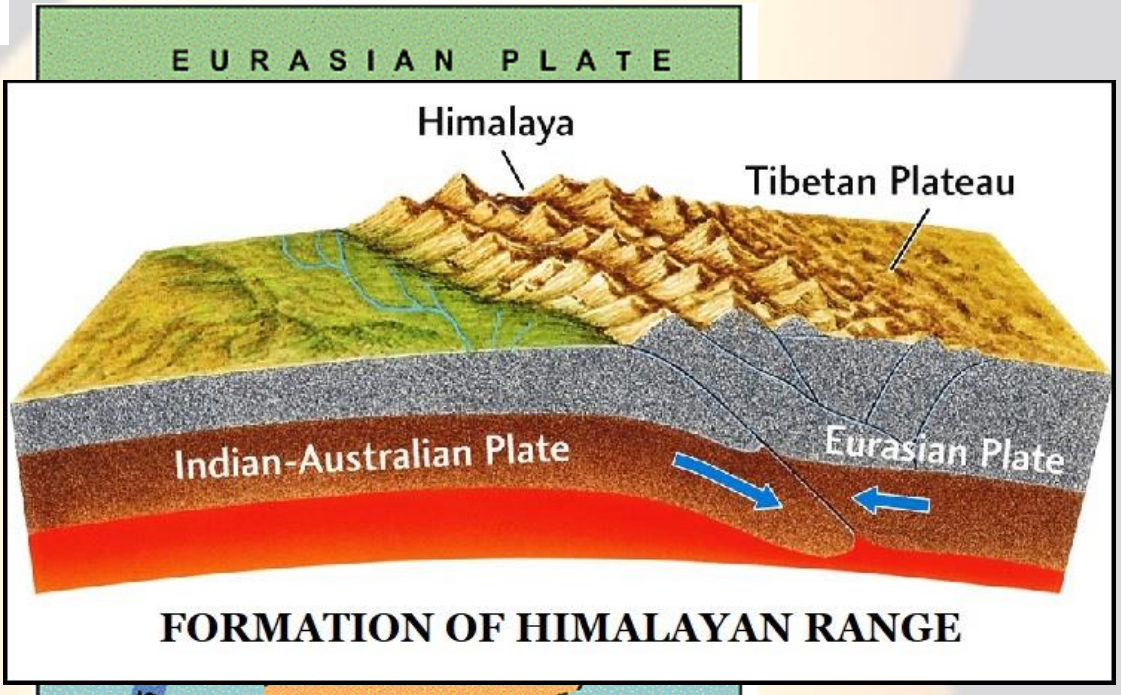
EURASIAN PLATE
Himalaya
Tibetan Plateau
Indian-Australian Plate
Eurasian Plate
FORMATION OF HIMALAYAN RANGE

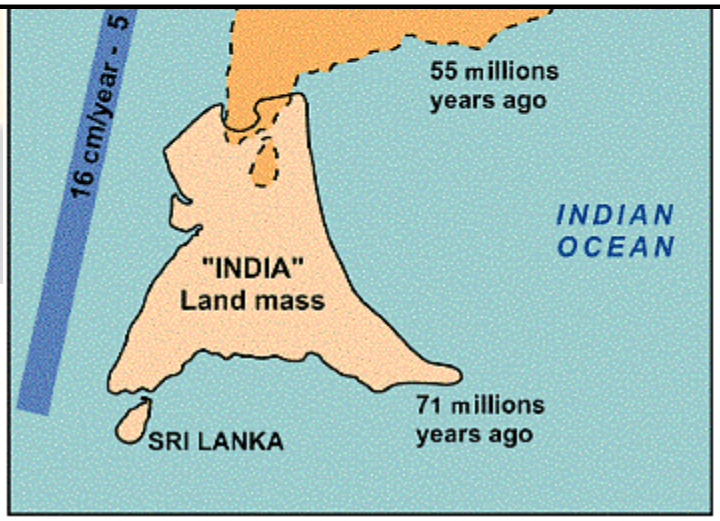
16 cm/year - 5
55 millions years ago
INDIAN OCEAN
"INDIA" Land mass
71 millions years ago
SRI LANKA

ट्रांस-हिमालय

यह हिमालय पर्वतमाला को दर्शाता है जो महान हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। वे लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व-पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं और चोटियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर है। ट्रांस-हिमालय का गठन विभिन्न पर्वतमालाओं जैसे कि कराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर द्वारा किया गया है, जिन्हें नीचे समझाया गया है:

कराकोरम श्रेणी: भारत में ट्रांस-हिमालयन की सबसे उत्तरी श्रेणी कराकोरम श्रेणी है।

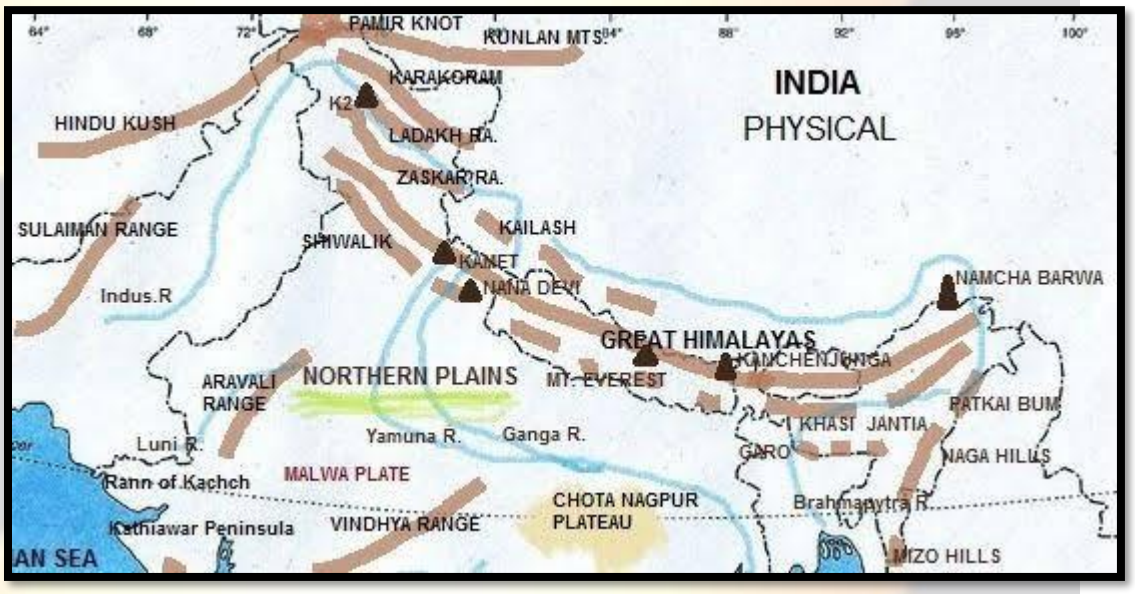

- यह विशेष श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 110-130 किमी है।
- यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक और सियाचिन ग्लेशियर जैसे कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है।
- लद्दाख श्रेणी: इसे काराकोरम श्रेणी का दक्षिण-पूर्वी विस्तार माना जाता है।
- यह कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी इलाकों में श्योक नदी के मुहाने से दक्षिण-पूर्व की ओर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा तक फैली हुई है।
- इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध शुष्क है और वनस्पति विरल है तथा यह मुख्य रूप से छोटी घासों तक ही सीमित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में सिंधु नदी के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित देवसाई पर्वत श्रृंखला को कभी-कभी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी तिब्बत में कैलाश श्रेणी को भी लद्दाख श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार माना जाता है।
- ज़स्कर श्रेणी: यह कमोबेश महान हिमालय श्रेणी के समानांतर चलती है।
- यह श्रेणी दक्षिण-पूर्व में सुरू नदी से ऊपरी कर्णाली नदी तक फैली हुई है। कामेट पीक (25,446 फीट) इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है।

ट्रांस-हिमालयन पर्वतमाला में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, जैसे K2 (माउंट गॉडविन ऑस्टेन) 8611 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।

हिमालय पर्वत श्रृंखला

हिमालय पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिम में कराकोरम और हिन्दू कुश पर्वतमाला, उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में सिंधु-गंगा के मैदान स्थित हैं।

- विस्तार: ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं।
  - मुख्य हिमालय की श्रृंखला अकेले पश्चिम में सिंधु घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2,400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैली हुई है।
  - हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ी हैं। दक्षिण की ओर हिमालय की सीमा तलहटी द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित है, लेकिन उत्तरी सीमा अस्पष्ट है और तिब्बत पठार के किनारे से विलीन हो जाती है।
- हिमालय की संरचना: हिमालय श्रृंखला दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और इसमें ज्यादातर ऊपर उठी हुई तलछटी और कायांतरित चट्टानें हैं।

हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का वर्गीकरण

इन्हें आगे ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में विभाजित किया गया है।

महान हिमालय

- इन्हें हिमाद्रि या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
- यह उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत और नेपाल के क्षेत्रों में दक्षिण-पूर्व की ओर फैला हुआ है, फिर सिक्किम और भूटान से होते हुए पूर्व की ओर मुड़ता है और अंत में उत्तरी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ता है।
- इसमें दुनिया के कई सबसे ऊँचे पहाड़ शामिल हैं, जैसे नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नमचा बरवा (पश्चिम से पूर्व की ओर)। इस श्रेणी में ढलानों का झुकाव उत्तर की ओर तीव्र और दक्षिण की ओर धीमा है।

मध्य हिमालय:

- इन पर्वत श्रृंखलाओं की औसत ऊँचाई लगभग 4500 मीटर है और इनकी औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है।
- इन्हें लघु हिमालय या निचला हिमालय भी कहा जाता है। इसमें नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधार, पीर पंजाल और मसूरी रेंज जैसी कई महत्वपूर्ण श्रेणियाँ भी शामिल हैं।
- झेलम और चिनाब जैसी कई महत्वपूर्ण नदियाँ इस श्रृंखला से होकर गुजरती हैं।

कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी पीर पंजाल और ज़ांस्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है, और झेलम नदी कश्मीर घाटी को खूबसूरती से काटती है। शिमला, चैल, रानीखेत, चकराता, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी रिसॉर्ट इसी पर्वतमाला में स्थित हैं।

शिवालिक या बाहरी हिमालय:

- यह सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है और उत्तर भारत के विशाल मैदानों और मध्य हिमालय के बीच स्थित है।

- इन पर्वतमालाओं की औसत ऊँचाई लगभग 1500 मीटर है।
- शिवालिक का विस्तार: शिवालिक पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा है। यह दक्षिण में सिंधु और गंगा नदियों के मैदान से अचानक ऊपर उठता है और उत्तर में हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समानांतर है, जिससे यह घाटियों द्वारा अलग होता है।
- दून का निर्माण: शिवालिक दून के निर्माण के कारण भी विशिष्ट हैं। शिवालिक के उत्थान के दौरान, कई नदियों ने अस्थायी झीलों का निर्माण करना बंद कर दिया। इन नदियों ने झीलों के तल पर तलछट जमा कर दी। समय के साथ नदी शिवालिक को काट सकती थी, इसलिए पानी बह जाता था और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को पीछे छोड़ देता था जिसे पश्चिम में दून और भारत के पूर्वी भाग में दुआर के नाम से जाना जाता है। वे चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं।